सूची – XIV फारम सं० 562

आदेश फलक

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर **Jamb. 08 / 2024-25**	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
	आनॅलाईन नामांतरण वाद संख्या **29 / 2024–2025** आदेश	
16.12.2024	अभिलेख उपस्थापित। ऑनलाइन नामांतरण वाद सं० 29 / 2024–25 में बिक्री केवाला सं० 896 दिनांकः 26 / 02 / 1973 के द्वारा क्रेता स्व० प्रताप गोवाला के पुत्र मोहन प्रधान, मौजा कंटामनी, थाना मझगाँव, जिला पश्चिमी सिंहभूम ने मौजा कंटामनी, खाता सं० 107 प्लाट सं० 164 / 691 रकवा 0.30 ए०, खाता सं० 155 प्लाट सं० 164 रकवा 0.22 ए०, खाता सं० 155 प्लाट सं० 164 / 692 रकवा 0.21 ए० का नामांतरण हेतु आवेदन किया है। जिसका व्रिकेता सेख महम्मद हनिफ पिता सेख नियामत अलि जान ग्राम+थाना– मझगाँव जिला– पश्चिमी सिंहभूत हैं। उक्त नामांतरण आवेदन पर मो० सनाउल्लाह, पिता– स्व० मो० हनिफ ग्राम+थाना– मझगाँव, जिला– पश्चिमी सिंहभूम ने आपत्ति किया है। आपत्ति के आलोक में आवेदक मोहन प्रधान पिता– स्व० प्रताप चन्द्र गोवाला (क्रेता) एवं आपत्तिकर्ता मो० सनाउल्लाह, पिता– स्व० मो० हनिफ को नोटिस निर्गत कर सुना गया। आवेदक मोहन प्रधान ने बताया कि आवेदित भूमि बिक्री केवाला सं० 896, दिनांक 26 / 02 / 1973 के द्वारा मौजा कंटामनी में पिता– प्रताप चन्द्र गोवाला विक्रेता सेख महम्मद हनिफ पिता– सेख नियामत अली जान ग्राम– मझगाँव से खरीदा है। पिता की मृत्यु 2016 में हुई है। आवेदित भूमि में धान की खेती किये हैं। आपत्तिकर्ता का आपत्ति गलत है। आपत्तिकर्ता मो० सनाउल्लाह, पिता– स्व० मो० हनिफ ने लिखित आवेदन के द्वारा अपनी आपत्ति को वापस लिया है और आवेदित भूमि का नामांतरण कर देने का अनुरोध किया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि नामांतरण हेतु आवेदित भूमि में विक्रेता स्वयं खतियानी एवं पंजी II रैयत हैं। जिसका खाता सं 107 का पंजी II पृष्ट सं 100 में तथा खाता सं 155 का पंजी II पृष्ट सं 145 में दोनों खाता का भाग सं 01 में दर्ज है। आवेदित खाता में विक्रेता के अंशधार द्वारा लिखित आपत्ति अंचल कार्यालय में दिया गया। जिसकी सुनवाई अंचल अधिकारी के न्यायालय में Jamb. 08 / 2024–25 के तहत किया गया। आपत्तिकर्ता ने आपत्ति वापस लेते हुए नामांतरण करने हेतु लिखित आवेदन दिया है। स्थलीय जांच तथा संलग्न कागजातों एवं नक्शा के आधार पर आवेदक का आवेदित प्लोटों पर आवेदक चास आवाद कर दखल कब्जा है। आवेदक ने उत्तराधिकारी नामांतरण हेतु नोटरी पब्लिक चाईबासा का शपथ पत्र सं 07 दिनांक 14 / 08 / 2024 संलग्न किया। संलग्न कागजातों के आधार पर ग्रामीणों	

Scanned with OKEN Scanner

	से पूछताछ किया तथा क्रेता प्रताप चन्द्र ग्वाला की मृत्यु 2016 में हुई, ग्रामीणों के द्वारा बताया गया। आवेदित भूमि गैर मजरुवा आम/खास, भू अर्जन, बंदोबस्ती, लीज, सैरात, वन विभाग खाते से मुक्त है। अतः प्रतिवेदित भूमि का उत्तराधिकारी नामांतरण हेतु स्वीकृति दी जा सकती है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपत्तिकर्ता ने अपनी आपत्ति वापस कर लिया है और आवेदित भूमि के नामांतरण पर सहमति जताया है। अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदित भूमि का नामांतरण स्वीकृत किया जाता है। यह आदेश पुर्णतः अपीलीय है। संबंधित पक्ष सक्षम न्यायलय जाने के लिए स्वतंत्र हैं।	
16.12.2024	लेखापित एवं संशोधित 16.12.24 अंचल अधिकारी, मझगाँव। 16.12.24 अंचल अधिकारी, मझगाँव।	

Digitally signed by VIJOY HEMRAJ XALXO
Date: 2024.12.19 17:11:14 +05:30
Location: 192.168.81.225

Scanned with OKEN Scanner